न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 84/2017 प्रार्थना पत्र धारा 251ए
GCMS No. – 2017/00337

1. श्रीमती धापूबाई पत्नी अमरदान जाति चारण आयु वयस्क निवासी मण्डलाचारण तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–प्रार्थीया

//बनाम//

1. बगदीराम पिता नाना जाति रावत आयु वयस्क निवासी विरियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. बाबुलाल पिता ख्यालीलाल जाति रावत आयु वयस्क निवासी विरियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. गोरधन लाल पिता ख्यालीलाल जाति रावत आयु वयस्क निवासी विरियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. रोड़ीबाई पिता ख्यालीलाल जाति रावत आयु वयस्क निवासी विरियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. डालीबाई पिता ख्यालीलाल जाति रावत आयु वयस्क निवासी विरियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. बेना पिता ख्यालीलाल जाति रावत आयु वयस्क निवासी विरियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. पानी बेवा ख्यालीलाल जाति रावत आयु वयस्क निवासी विरियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपरिस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थीया

:: निर्णय ::

दिनांक :– 17.08.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा रणछोड़पुरा पटवार हल्का मण्डलाचारण तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 57 की आराजी नम्बर 215 रकबा 1.0100 हैक्टेयर लगानी 7.07 रूपये, आराजी नम्बर 402/226 रकबा 0.1900 हैक्टेयर लगानी 0.95 रूपये, आराजी नम्बर 403/226 रकबा 0.2300 हैक्टेयर लगानी 1.15 रूपये, आराजी नम्बर 404/226 रकबा 0.0500 हैक्टेयर गे0मु0 रास्ता स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

2. उपरोक्त आराजियात प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही है। प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजियात से विपक्षीगण का कोई तालुक सरोकार संबंध नहीं है प्रार्थीया की आराजी नम्बर 215 की आराजियात के पचिम दिशा में उंचा से मण्डलाचारण जाने का आम रास्ता है उक्त आम रास्ते से प्रार्थीया अपनी आराजी नम्बर 215 में होकर आराजी नम्बर 402/226 में से होकर विपक्षीगण की आराजियात के उत्तरी दिशा में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे का रास्ता आराजी नम्बर 404/226 रकबा 0.0500 हैक्टेयर रास्ता जो करीब 15 फीट चौड़ा है उक्त रास्ते में से होकर प्रार्थीया अपनी खातेदारी व कब्जे की आराजी नम्बर 403/226 जो विपक्षीगण की आराजियात के पूर्वी दिशा में स्थित है आती जाती है और प्रार्थीया विपक्षीगण की आराजियात के उत्तरी दिशा वाले 15 फीट चौड़े रेकार्डेड रास्ते से आती जाती है और हल बेल गाडी ट्रेक्टर आदि लाती ले जाती चली आ रही है और उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करती चली आ रही है।

3. विपक्षीगण प्रार्थीया की आारजी नम्बर 404/226 रकबा 0.05 हैक्टेयर रास्ते को जबरन हांक कर बन्द करने पर आमादा है और प्रार्थीया को उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने में बाधा पैदा कर रहे है और प्रार्थीया और उसके परिजनों को अपनी खातेदारी व कब्जे की आराजियात पर हल बेल गाड़ी व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने में विपक्षीगण की आराजियात के उत्तरी दिशा वाले रास्ते से आने जाने में बाधा पैदा कर रहे है उक्त रास्ते को हांक कर अपनी आराजियात में मिला लिया है और समझाने बुझाने पर किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है और प्रार्थीया व उनके परिजनों को उक्त रास्ता का उपयोग उपभोग करने से वंचित कर रहे है और इस कारण प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे की आराजियात की हंकाई जुताई करने में व फसल बुवाई आदि करने में जबरन बाधा पैदा कर रहे है और मौके पर विवाद कर रहे है तथा उक्त रास्ते से निकलने पर जान से खत्म करने की धमकियां दे रहे है और मौके पर जाने पर प्रार्थीया के ट्रेक्टर के आडे फिर कर प्रार्थीया की आराजियात की हकांई जुताई करने से रोक रहे है और समझााने बुझााने पर भी नहीं मान रहे है इसलिए प्रार्थीया अपनी खातेदारी व कब्जे का उक्त रास्ता जो विपक्षीगण की आराजियात के उत्तरी दिशा में स्थित है उक्त रेकार्डेड रास्ते को खुलवाने का अधिकारी है और विपक्षीगणेां को पांबद कराने की अधिकारी है।

4. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात पर आने वाले रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर 404/226 रकबा [illegible] हैक्टेयर भूमि रास्ते से विपक्षीगण द्वारा किये गये अवरोध को हटाया [illegible] कायम रखाया जावें ओर उक्त रास्ते को खुलवाया जाकर विपक्षीगणों को पाबन्द फरमाया जावें कि वह प्रार्थीया व उनके परिजनों को अपनी आराजीयात [illegible] वाले उक्त रास्ते में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें ओर उक्त रास्ते का विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते का जबरन हांक कर बंद कर दिया गया है। उसे पुनः खुलवाया जाकर रास्ता बदस्तुतर कायम रखया जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गयां। विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मौका रिपोर्ट मंगईवाई गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने प्रकरण में अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2021/530 दिनांक 26.07.2021 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शमिल पत्रावली की गई।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वकील प्रार्थीया ने ग्राम रणछोड़पुरा पटवार हल्का मण्डलाचारण तहसील निम्बाहेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2073–76 की खाता संख्या 57 की एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। प्रकरण में तहसीदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी मौका रिपोर्ट में बताया की प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा बताये अनुसार ग्राम रणछोड़पुरा के खाता संख्या 57 की आराजी नम्बर 215 रकबा 1.01 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 402/226 रकबा 0.19 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 404/226 रकबा 0.05 हैक्टेयर गे0मु0 रास्ता दर्ज है। जो सही है। प्रार्थीया द्वारा बताये अनुसार अपनी आराजी नम्बर 215 से लेकर आराजी नम्बर 402/226 में से होकर विपक्षीगण की आराजियात के उत्तरी दिशा मे स्थित प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे का रास्ता आराजी नम्बर 404/226 रकबा 0.05 हैक्टेयर है। इस रास्ते में से होकर प्रार्थीया अपनी खातेदारी व कब्जे की आराजी नम्बर 404/226 जो विपक्षीगण की आराजियात के पूर्वी दिशा में स्थित है, से आते जाते है जो सही है। प्रार्थीया ने अपने आवेदन पत्र में जाहिर किया की विपक्षीगण प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नम्बर 404/226 रकबा 0.05 हैक्टेयर गे0मु0 रास्ता पर जबरन बाधा कर रहे है। अतः रास्ता पहले से खातेदारी में कायम होने से 251 ए का प्रकरण नहीं बनता है यदि खातेदारी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही कर न्याय प्राप्त करें। हमने वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत रपोर्ट अवलोकन किया अवलोकन के पश्चात् हम तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट से सहमत है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया की प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नम्बर 404/226 रकबा 0.05 हैक्टेयर गे0मु0 रास्ता दर्ज है जिस पर विपक्षीगण द्वारा जबरन कब्जा कर रास्ता रोका जा रहा है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 251ए के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 251ए अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नम्बर 404/226 रकबा 0.0500 हैक्टेयर गे0मु0 रास्ता दर्ज है जिस पर विपक्षीगण द्वारा जबरन कब्जा कर रास्ता रोका जा रहा है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 251ए के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 251ए अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में आपके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट जिसमें आराजी नम्बर 404/226 रकबा 0.0500 हैक्टेयर गे0मु0 रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है जिस पर विपक्षीगण द्वारा जबरन कब्जा कर रास्ता रोका जा रहा है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत् जिसमें मार्ग तथा अन्य निजी सुखाचारों के अधिकार–(1) किसी भू–धारक के मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार में जिसका वह वास्तव में उपयोग कर रहा हो, विधि के सम्यक क्रम में भिन्न रूप से उसकी सम्पत्ति के बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2023.09.14 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

ऐसे उपयोग में विघ्न डाले जाने की दशा में तहसीलदार इस प्रकार विघ्नग्रस्त भू–धारक के आवेदन पर और ऐसे उपभोग और विघ्न के तथ्य पर संक्षेपतः जांच करने के पश्चात् विघ्न को हटाये जाने अथवा उसको रोके जाने के लिए आदेश दे सकेगा और धारक–आवेदक को ऐसे उपभोग का प्रत्यावर्तन किये जाने का आदेश दे सकेगा, भले ही ऐसे प्रत्यावर्तन के विरुद्ध किसी अन्य हक का प्रश्न तहसीलदार के सामने जताया गया हो । (2) इस धारा के अधीन पारित कोई आदेश किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार अथवा सुखाचार को, जिसका दावा वह किसी सक्षम सिविल न्यायालय में नियमित वाद द्वारा कर सके, स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा।

तहसीलदार निम्बाहेड़ा प्रकरण को दर्ज कर दोनों पक्षों को सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार निम्बाहेड़ा को भेजी जावें। प्रार्थीया को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा में दिनांक 15.09.2023 को उपस्थित हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested